13/01/2022 प्रार्थी की ओर से मूल वाद में प्रार्थना पत्र बाबत वाद प्रत्याहरित करने पेश किया जाने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी की ओर से मूल वाद प्रत्याहरित किया जा चुका है, लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत निषेधाज्ञा में सुनवाई का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर कैंसल शुमार व दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:46 IST
Reason: SelfAttested